राजधानी में आवासीय क्षेत्र के व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध चल रही जिला प्रशासन की कार्यवाही के विरोध में शुक्रवार को भोपाल व्यापारी महासंघ ने प्रदर्शन किया।

हीमोग्लोबिनोपैथीज़ के उन्मूलन के लिए समन्वित प्रयास जरूरी : शुक्ल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि जनजागरूकता, जनभागीदारी, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया सहित अन्य हीमोग्लोबिनोपैथीज़ के उन्मूलन का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। वे 'हीमोग्लोबिनोपैथीज़ : संकल्प से समाधान' विषयक राज्य स्तरीय परामर्श बैठक में शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि ये बीमारियां केवल स्वास्थ्य चुनौती नहीं हैं, बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ी हैं। इसलिए समय पर

पहचान, गुणवत्तापूर्ण उपचार, जेनेटिक परामर्श और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के तहत अग्रणी कार्य कर रहा है। प्रदेश में अब तक एक करोड़ 32 लाख से अधिक नागरिकों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। राज्य समय से पहले 100 प्रतिशत स्क्रीनिंग लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जांच, उपचार और फॉलो-अप के लिए उप स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक बेहतर व्यवस्था विकसित की गई है। निःशुल्क दवा, सुरक्षित रक्ताधान, टीकाकरण और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि भविष्य में नवजात जांच, गर्भावस्था पूर्व जांच, जेनेटिक काउंसिलिंग और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा।

फर्जी पुलिस बनकर वसूली, शाहपुरा में दो युवक गिरफ्तार, नकली पिस्टल बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के शाहपुरा थाना क्षेत्र में फर्जी पुलिस बनकर राहगीरों से रुपये वसूलने वाले दो युवकों को पुलिस ने गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सिविल ड्रेस में चौराहे पर वाहन रोककर खुद को पुलिसकर्मी बताते थे और हेलमेट तथा ट्रैफिक नियमों का डर दिखाकर पैसे मांगते थे।

शाहपुरा थाना प्रभारी संतोष मकराम ने बताया कि गुरुवार रात करीब 9:30 बजे शाहपुरा चौराहे से सूचना मिली कि दो युवक पुलिसकर्मी बनकर वाहनों की जांच कर रहे हैं और लोगों से वसूली कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को पकड़ लिया।

घटना के दौरान मौजूद लोगों ने दोनों युवकों को घेर लिया। कई लोगों ने वीडियो भी बनाया। वीडियो में लोग उनसे पूछते सुनाई देते हैं— 'कौन से थाने से हो? आईडी कार्ड दिखाओ?' कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ये दोनों खुद बिना हेलमेट बाइक चला रहे हैं और दूसरों को

हेलमेट के नाम पर रोक रहे हैं। लोगों ने पूछा कि उन्हें सड़क पर वाहन चेकिंग करने की अनुमति किसने दी है। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस बुलाने की बात कही।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमान खान और कार्तिक मिश्रा के रूप में हुई है। अमान खान एमपी नगर स्थित एक आईटी कंपनी में एचआर के पद पर कार्यरत है, जबकि कार्तिक मिश्रा एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। तलाशी के दौरान अमान की कमर से एक नकली पिस्टल बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।

पकड़े जाने के बाद दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने खुद को कोहेफिजा थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी बताया, लेकिन सख्त पूछताछ में उनका झूठ पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने दावा किया कि वे लोगों के साथ 'प्रैंक' कर रहे थे। लेकिन थाना प्रभारी के अनुसार यह दावा पूरी तरह झूठा है। मौके पर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी और न ही ऐसा कोई साक्ष्य मिला जिससे प्रैंक की बात साबित हो।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सिविल ड्रेस में ही वाहन चालकों को रोकते थे। हेलमेट नहीं पहनने या अन्य यातायात नियमों का हवाला देकर पुलिस कार्रवाई का डर दिखाते और मौके पर ही रुपये मांगते थे। हालांकि किसी का वैधानिक चालान नहीं काटा गया।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ फर्जी पुलिस बनकर वसूली, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। पूछताछ में दोनों ने दावा किया कि वे पहली बार ऐसा कर रहे थे, लेकिन पुलिस इस दावे पर भरोसा नहीं कर रही है। आरोपियों की सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) निकलवाई जा रही है और उनकी पुरानी गतिविधियों की जांच की जा रही है। अमान खान के खिलाफ पहले से मारपीट का एक मामला दर्ज है। कार्तिक मिश्रा का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है।

दो मंजिला बिल्डिंग पर चली जेसीबी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के बावड़ियाकलां स्थित शुभालय विहार में शुक्रवार को नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यहां दो मंजिला (जी+1) बिल्डिंग को जेसीबी से तोड़ा गया। यह निर्माण अवैध तरीके से किया गया था।

कहां हुई कार्रवाई?

सुभालय परिसर में गौरव गृह निर्माण सहकारी समिति स्थित है। यहां मकान क्रमांक बी-93 पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम के मुताबिक, इस संपत्ति का मूल भूखंड का क्षेत्रफल 1312 वर्गमीटर है, जबकि मौके पर 900 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर जी+1 (भूतल और प्रथम तल) भवन बना लिया गया था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा स्वीकृत ले-आउट में इसे एकल भूखंड के रूप में प्रावधानित किया गया था।

अवैध विक्रय और निर्माण

जांच में पाया गया कि भूखंड का अनधिकृत रूप से उपविभाजन कर सहकारी समिति के भूखंडों का अवैध विक्रय किया गया। स्वीकृत ले-आउट के विपरीत निर्माण किए जाने के कारण नगर निगम ने नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कार्रवाई संबंधित अधिकारियों और अमले की उपस्थिति में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न हुई।

मानव संग्रहालय में रचना श्रीवास्तव को भावभीनी विदाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में निदेशक की निजी सचिव रचना श्रीवास्तव के सेवानिवृत्ति अवसर पर गरिमामय विदाई समारोह आयोजित किया गया। रचना श्रीवास्तव ने 15 नवंबर 1989 को संग्रहालय में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थीं और लगभग 37 वर्षों की समर्पित एवं उत्कृष्ट सेवाओं के बाद 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुईं।

संग्रहालय के निदेशक प्रो. डॉ. अमिताभ पांडे ने रचना श्रीवास्तव को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिह्न भेंट कर उनके सेवाकाल की सराहना की। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके व्यवहार, कार्यशैली और सहयोगी भावना की प्रशंसा की। संग्रहालय के जनसंपर्क अधिकारी हेमंत बहादुर सिंह परिहार ने उनके सौम्य व्यक्तित्व और संस्थान के प्रति निष्ठा को याद करते हुए स्वस्थ और सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर संदीप शर्मा, नीलम श्रीवास्तव सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी। संग्रहालय की सहकारी साख समिति की ओर से अध्यक्ष डीडी सेनापति और उपाध्यक्ष स्मिता पागे ने रचना श्रीवास्तव को बचत राशि का चेक और उपहार प्रदान किया।

रंगमंच में बनेगी 30 गुणा 30 फीट की विशाल पेंटिंग

नप्र, भोपाल : कला, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को समर्पित रंगमंच 2026 नाट्य एवं नृत्य महोत्सव का आयोजन 1 अगस्त को रविंद्र भवन में किया जाएगा। यश विजन एंटरटेनमेंट की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। इस वर्ष महोत्सव की थीम रिश्ते, मूल्य और सामाजिक सरोकार रखी गई है। कार्यक्रम संयोजक सुमंत सोनी ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य रंगमंच और नृत्य के माध्यम से पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों की अहमियत और सामाजिक संवेदनाओं को प्रस्तुत करना है। महोत्सव का मुख्य आकर्षण सेवा कला के अंतर्गत नीम करोली महाराज को समर्पित जीवंत चित्रकला होगी। कलाकार दर्शकों के सामने 30गुणा30 फीट का विशाल चित्र तैयार करेंगे। इसमें प्रेम, सेवा, करुणा और मानवता का संदेश दर्शाया जाएगा। कार्यक्रम में नाटक और नृत्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा।

चौक बाजार की कपड़ा दुकान में आग

छोटा रास्ता,बेरिकेडिंग के कारण दमकल पहुंचने में देरी, व्यापारियों ने काबू पाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के चौक बाजार स्थित एक कपड़ा दुकान में शुक्रवार (31 जुलाई 2026) की दोपहर आग लग गई। दुकान से धुआं उठते देख दुकानदार बाहर निकले और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हो गई। फायर स्टेशन को सूचना दी गई, लेकिन रास्ते में बेरिकेडिंग और संकरा रास्ता होने से दमकल को मौके पर पहुंचने में देरी हुई।

आग कहां और क्यों लगी?

चौक बाजार में नेमा डिजाइनर स्टूडियो नाम की दुकान में यह घटना हुई। यहां दुल्हन के लहंगे समेत अन्य कपड़े मिलते हैं। शॉर्ट-सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। लोगों की मदद से आग पर जल्दी काबू पा लिया गया, फिर भी लाखों रुपये का नुकसान हो गया।

दमकल क्यों लेट पहुंची?

ट्रैफिक व्यवस्था के तहत पुलिस ने मोती मस्जिद के पास बेरिकेडिंग कर वन-वे व्यवस्था कर रखी है। इस कारण दमकल वहां से सीधे नहीं आ सकी और उसे घूमकर आना पड़ा। संकरा रास्ता और बीच में खड़े टू-व्हीलरों की वजह से और देरी हुई। दमकल करीब 40 से 50 मिनट लेट पहुंची। इस देरी से इलाके के लोगों में नाराजगी भी देखी गई।

बड़ा हादसा टला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार समय पर आग बुझा दी गई। अगर देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि आसपास कई दुकानें सटी हुई हैं। आग फैलती तो अन्य दुकानों को भी चपेट में ले सकती थी। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। आग पर काबू पाने के बाद दुकान की स्थिति खराब हो गई थी। व्यापारियों और स्थानीय लोगों के त्वरित प्रयास से स्थिति संभल गई।

जीनगर समाज की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 5 अगस्त को

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अभा जीनगर समाज एकीकरण महासभा मध्यप्रदेश की ओर से 5 अगस्त को भोपाल में राष्ट्रीय कार्य समिति एवं प्रबुद्धजन बैठक आयोजित की जाएगी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान और समाज के पदाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को आमंत्रित किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवानदास ढालिया ने बताया कि यह बैठक समाज की एकता, संगठन की मजबूती और सामाजिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी। बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ समाज के प्रबुद्धजन भी शामिल होंगे।

बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और नियुक्ति पत्र वितरण भी किया जाएगा। इस अवसर पर अतिथियों का सम्मान और स्मृति चिह्न भेंट किए जाएंगे। कार्यक्रम में अशोक सांकले, राजकुमार सांखला, रविकांत पवार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मौलाना की कथित टिप्पणी पर हिंदू संगठनों का विरोध

नप्र, भोपाल : भगवान श्रीकृष्ण, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा को लेकर कथित विवादित टिप्पणी के मामले में भोपाल में हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। श्री हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठनों का आरोप है कि मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्रीकृष्ण और अन्य देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। यह वीडियो 23 जून 2026 को झारखंड में दिए गए भाषण का है, जिसमें कथित रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए विवादित बयान दिया गया था। वीडियो सामने आने के बाद संत समाज और हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। श्री हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया कि मौलाना बार-बार हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं।

संतों की स्मृति में 41 दिवसीय यज्ञ समागम 5 अगस्त से

पुराना सुभाष नगर गुरुद्वारा में प्रतिदिन होंगे धार्मिक आयोजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः ब्रह्मलीन संतजन बाबा धरम सिंह, बाबा जोगा सिंह, दया सिंह, ठाकुर नारायण सिंह और शहीद संत किशन सिंह की स्मृति में 41 दिवसीय यज्ञ समागम का आयोजन 5 अगस्त से 14 सितंबर तक किया जा रहा है।

संत बाबा जोगा सिंह गुरुद्वारा, पुराना सुभाष नगर के सेवादार अनिल चावला ने बताया कि आयोजन के दौरान प्रतिदिन श्री अखंड पाठ साहिब, श्री जपुजी साहिब और श्री मूल मंत्र सिमरन किया जाएगा। धार्मिक कार्यक्रम को लेकर गुरुद्वारा परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि यज्ञ समागम में श्रद्धालुओं की सहभागिता रहेगी और प्रतिदिन धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से संतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आयोजन के लिए गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं।

न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल
प्रकरण क्रं. 0982/अपील/2025-26
भोपाल, दिनांक 29/07/2026
नन्ने खॉ पुत्र गुलामउल्ला निवासी-ग्यारसपुर जिला विदिशा.....**विरूद्ध**...कैलाश नारायण व अन्य पुत्र छुट्टीलाल शर्मा निवासी- लाला लाजपतराय वार्ड क्रं. 17 पाठक कालोनी हरदा
सूचना पत्र
1. कैलाश नारायण पुत्र छुट्टीलाल शर्मा 2. शम्भूदयाल पुत्रा छुट्टीलाल शर्मा (मृत) द्वारा विधिक वारिसान क. मनोरमा देवी पत्नी स्व. शम्भूदयाल ख. शिशांक पुत्र स्व. शम्भूदयाल ग. रानू शर्मा पुत्री स्व. शम्भूदयाल निवासी-लाला लाजपतराय वार्ड क्र. 17 पाठक कालोनी हरदा घ. रिंकी शर्मा पुत्री स्व. शम्भूदयाल ड. रितु शर्मा पुत्री स्व. शम्भूदयाल निवासी-प्लॉट नं. 22 कस्टम कॉलोनी नियर देवी मंदिर नयापुरा कोलार रोड भोपाल च. रूबल र्मा पुत्री स्व. शम्भूदयाल निवासी- खरी फाटक रोड काली मस्जिद के पास विदिशा एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी नन्ने खॉ पुत्र गुलामउल्ला निवासी- ग्यारसपुर जिला विदिशा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील विदिशा जिला विदिशा के अपील प्रकरण कमांक 0106/अपील/2025-26 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील याचिका प्रस्तुत की गई है। अतः इस न्यायालय में दिनांक 31.08.2026 को प्रातः11.00 बजे आप स्वयं अथवा अधिववक्ता के माध्यम से उक्त प्रकरण से संबंधित अभिलेख सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। अनुपस्थिति की दशा में आपके विरूद्ध विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। यह सूचना पत्र आज दिनांक 29.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।
(शिवराज सिंह वर्मा)
अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
1143

कार्यालय प्रशासक ड्रीम सिटी रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल
(पंजी. क्रमांक/डी.आर./बी.पी.एल./110284
दिनांक 02.03.2022
क्रमांक/निर्वा./2026/02
दिनांक 31.07.2026
निर्वाचन आमसभा की सूचना
संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन बाबत निर्वाचन आमसभा दिनांक 14.08.2026, दिन शुक्रवार को प्रातः10.30 बजे से ड्रीम सिटी परिसर क्लब हाउस, होशंगाबाद रोड, जिला-भोपाल पर आयोजित की गई है। रिटर्निंग अधिकारी 'श्री ओ.पी. मालवीय' द्वारा दिनांक 07/08/2026 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नामांकन पत्र लिये जावेंगे दिनांक 08/08/2026 को दोपहर 12 से नियोजन पत्रों की जांच की जावेगी, दिनांक 09/08/2026 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। उपरोक्त समस्त कार्यक्रम स्थान कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, डी-ब्लाक, पुराना सचिवालय, जिला-भोपाल पर सम्पन्न होंगे, तत्पश्चात सूची का अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जावेगा। आमसभा की सूचना के साथ निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित कार्यक्रम की सूचना सदस्यों को पृथक से स्पीड पोस्ट/साधारण डाक द्वारा भेजी गई है।
प्रशासक
ड्रीम सिटी रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल
1142

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1
महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रॉपर्टी आई. डी. नं.0600140032, आवेदन क्रमांक-12806,आवेदन दिनांक-27/07/2026
क्र. 2319/राजस्व/भौविप्रा/26 भोपाल
दिनांक 31/07/2026
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की कोहेफिजा योजना भूखण्ड क्रमांक 32 सेक्टर डी, श्री मो. आहम्मद जावेद एवं श्री मा हम्मद अय्यूब खान आत्मज श्री मजिद खान के संयुक्त नाम पर अंकित है। संयुक्त आवेरी में से श्री मोहम्मद जावेद का स्वर्गवास दिनांकः-15/07/2023 एवं श्री मोहम्मद अय्यूब का भी स्वर्गवास दिनांकः-24/08/2025 को हो जाने के कारण आवंटी के वारिसगण 1. श्रीमती सेहबा जावेद पत्नी मोहम्मद जावेद 2. श्री मोहम्मद इब्राहिम खान पुत्र मोहम्मद जावेद 3.श्रीमती फरहाना अय्यूब पत्नी मोहम्मद अय्यूब खान 4. श्री मोहम्मद इस्माइल खान पुत्र मोहम्मद अय्यूब खान 5. श्री मोहम्मद जैद खान पुत्र मोहम्मद अय्यूब खान द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड तथा वांछित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त भूखण् ड का संयुक्त नाम पर नामांतरण चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे 7 उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
1

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1
महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रॉपर्टी आई. डी. नं.G102090004, आवेदन क्रमांक-12766,आवेदन दिनांक-24/07/2026
क्र. 2320/राजस्व/भौविप्रा/26 भोपाल
दिनांक 31/07/2026
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की कहकशा कॉम्प्लेक्स कोहेफिजा योजना में स्थित प्रकोष्ठ क्रमांक 04 सी-2, श्री दिलीप कुमार जैमिनी आ. श्री दिनेश चन्द्र जैमिनी नाम पर आवंटित है। आवंटी श्री दिलीप कुमार जैमिनी का स्वर्गवास दिनांकः 12/04/2026 को हो जाने के कारण आवंटी के वारिस 1. श्रीमती साधना जैमिनी पत्नी स्व. श्री दिलीप कुमार जैमिनी 2. श्री रौनक जैमिनी पुत्र स्वक श्री दिलीप कुमार जैमिनी 3. श्रीमती हर्षिता जैमिनी पुत्री स्क श्री दिलीप कुमार जैमिनी द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड तथा वांछित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त प्रकोष्ठ संयुक्त क्त नाम पर नामांतरण चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति /उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य /दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/ आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
1110

कार्यालय : प्रशासक प्रीमियम आर्चड रेसीडेंशियल मेंटीनेंस वेलफेयर सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल जिला-भोपाल
(पंजी. क्रमांक/डी.आर.बी./1229
दिनांक 29.03.2016
क्रमांक/निर्वा./2026/02
दिनांक 31.07.2026
निर्वाचन आमसभा की सूचना
संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन बाबत निर्वाचन आमसभा दिनांक 14.08.2026, दिन शुक्रवार को प्रातः 10.30 बजे से स्थान-संस्था परिसर स्थित टीन शेड गार्डन, फेस-2 करोंद बायपास, जिला-भोपाल पर आयोजित की गई है। रिटर्निंग अधिकारी 'श्रीमती संगीता मीना' द्वारा दिनांक 07/08/2026 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नामांकन पत्र लिये जावेंगे। दिनांक 08/08/2026 को दोपहर 12 से नियोजन पत्रों की जांच की जावेगी, दिनांक 09/08/2026 को दोपहर 12 से 02 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। उपरोक्त समस्त कार्यक्रम स्थान-कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, डी-ब्लाक, पुराना सचिवालय, जिला-भोपाल पर सम्पन्न होंगे, तत्पश्चात सूची का अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जावेगा। आमसभा की सूचना के साथ निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित कार्यक्रम की सूचना सदस्यों को पृथक से स्पीड पोस्ट डाक द्वारा भेजी गई है।
(मुकेश गुप्ता)
प्रशासक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
प्रीमियम आर्चड रेसीडेंशियल मेंटीनेंस वेलफेयर सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल जिला-भोपाल
1140

In The Court of Principal District and Session Judge Additional Motor Accident Claims Tribunal, District Court Raisen
Presiding Officer: श्री अनिल कुमार सोहाने
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0000002/2026)
आशीष धाकड़....**वादी VS** देवेन्द्र सिंह...**प्रतिवादी**
Talwana ID- 2204 Process Id-/2026
पेशी दि. 09/09/2026
प्रतिवादी-(1) देवेंद्र सिंह पिता मोहर सिंह, आयु 25 साल पता- वार्ड नंबर 17 राघवजी कालोनी विदिशा तहसील व जिला विदिशा म.प्र. (2) विशाल मालवीय पिता बहादुर सिंह मालवीय पता देवास मकान नंबर 173 वार्ड नंबर 13 देवास स्कूल के पास देवास तहसील व जिला देवास म.प्र. **यह कि प्रार्थी** आशीष धाकड़ ने आपके विरूद्ध आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिववक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 30 Jul 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें :** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।
अनिल कुमार सोहाने,न्यायाधीश
सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रायसेन (म.प्र.)
1139